

क्रमांक :एफ2(58)/DOIT&C/2022/

जयपुर, दिनांक:

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(58)/DOIT&C/2022/03604/2022 दिनांक 31.05.2022 के द्वारा श्री विक्रम राठौड़ पुत्र स्व. श्री जुगल सिंह, सूचना सहायक को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में सूचना सहायक के पद पर वेतन श्रृंखला 5200-20200 (10) में दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये राशि रुपये 18,500/- पर नियत पारिश्रमिक के अन्तर्गत प्रोवेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश की अनुपालना में श्री विक्रम राठौड़ द्वारा कार्यालय राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में दिनांक 15.06.2022 को मध्याह्न पूर्व सूचना सहायक के पद पर कार्यग्रहण किया गया।

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ.2(1587) डी.ओ.आई.टी./संस्था/13/एमएल-7431 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा श्री विक्रम राठौड़, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन) ने नियुक्ति आदेश की शर्तानुसार कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा (दिनांक 04.04.2024 को) उत्तीर्ण कर ली गई है।

वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में श्री विक्रम राठौड़, सूचना सहायक का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी-1 (5200-20200) की ग्रेड पे-2800 (ग्रेड पे सं.-10) का शिड्यूल- I (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 26,300/- एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट नं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	डीडीपी	श्री विक्रम राठौड़ पुत्र स्व. श्री जुगल सिंह	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	15.06.2022	14.06.2024	15.06.2024

उक्त कार्मिक का वेतन आहरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार उक्त कार्मिक की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2024 होगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
- सहायक सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री विक्रम राठौड़, सूचना सहायक, कार्यालय राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
8405553

Document certified by SANJAY JAGDISH KARNIK <sjkarnik.doit@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed By Sanjay Jagdish Karnik
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष